न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी, पटना

(जिला शस्त्र शाखा)

—: आदेश :—

02-04-2013

विविध शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या—9—1404/2008 में आवेदक **श्री अनिल कुमार,** पिता—स्व0 देवशरण प्रसाद, सा—बकसरिया टोला, पो0—महेन्द्रु, थाना—सुलतानगंज, जिला—पटना से प्राप्त एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन—पत्र पर वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त करने की कार्रवाई की गई। प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में तत्कालिन जिला दण्डाधिकारी द्वारा अभिलेख पर शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है, परन्तु आदर्श आचार संहित के प्रभावी हो जाने के कारण शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु स्वीकृत्यादेश निर्गत नहीं किया जा सका। पुलिस प्रतिवेदन पुराना हो जाने के कारण पुनः वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्रतिवेदन की माँग की गयी।

आवेदक अनुपस्थित। आवेदक द्वारा पूर्व समर्पित लिखित बयान में अंकित किया गया है कि वर्ष 2008 में अपने जान—माल की सुरक्षा के लिए एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल के शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र समर्पित किया गया था। यह आवेदन उनके बड़े भाई यदुवंश प्रसाद की हत्या के बाद समर्पित किया गया। इस संबंध में सुलतानगंज थाना कांड सं0—217/08 आई0पी0सी0 की धारा—302/34 अन्तर्गत दर्ज है। पूर्व में मेरे द्वारा समर्पित शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पर पुलिस प्रतिवेदन प्राप्त करने की कार्रवाई की गयी थी, जिसमें शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गयी थी। तत्कालिन जिला दण्डाधिकारी द्वारा शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने की स्वीकृति संबंधित संचिका में दी गयी थी, परन्तु आदर्श आचार संहिता के लगातार प्रभावी रहने के कारण स्वीकृति आदेश निर्गत नहीं किया जा सका। पुलिस प्रतिवेदन पुराना होने के कारण पुनः पुलिस प्रतिवेदन प्राप्त की गयी, जिसमें शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किये जाने की अनुशंसा की गयी है। आवेदक द्वारा यह भी अंकित किया गया है कि वे अपने परिवार के जीविकोपार्जन हेतु एक मात्र वही सदस्य हैं। आवेदक द्वारा शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त पत्रांक—680/गो0, दिनांक—12.04.2010 का अवलोकन किया गया। आवेदक के एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अधिनस्थ पदाधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अग्रसारित/अनुशंसित किया गया। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, पटना सिटी एवं थानाध्यक्ष, सुलतानगंज द्वारा अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अग्रसारित एवं अनुशंसित किया गया है। थानाध्यक्ष—सुलतानगंज द्वारा अपने सत्यापन प्रतिवेदन में अंकित किया गया है कि आवेदक व्यवसाय करते हैं तथा यह भी बताया गया कि बाबु लाल एक कुख्यात अपराधी है, जिसके द्वारा इनके बड़े भाई स्व0 यदुगोप की हत्या गोली मारकर कर दी गयी थी तथा इस संबंध में सुलतानगंज थाना कांड सं0—217/08 दर्ज है। साथ हीं यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक कुख्यात अपराधी बाबूलाल के निशाने पर हैं। जान—माल की सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुशंसा की गयी है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा समर्पित लिखित बयान, अभिलेख में संलग्न कागजातों का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी को भी प्रतीत होता है कि आवेदक **श्री अनिल कुमार** को अपने जान–माल की सुरक्षा के बिन्दु पर भय/आशंका है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 3, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0–V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक–31.03.2010 में निहित निर्देश, आवेदक द्वारा समर्पित लिखित बयान– के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त **श्री अनिल कुमार,** पिता–स्व0 देवशरण प्रसाद, सा–बकसरिया टोला, पो0–महेन्द्रु, थाना–सुलतानगंज, जिला–पटना को उनके जान–माल की सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण बिहार राज्य क्षेत्राधिकार के लिए मान्य एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल की अनुज्ञप्ति की **स्वीकृति** प्रदान की जाती है।

श्री कुमार को आदेश दिया जाता है कि वे विहित सरकारी शीर्ष में अपेक्षित अनुज्ञप्ति शुल्क कोषागार चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति, पासपोर्ट साईज का दो अभिप्रमाणित फोटो एवं एक सादी अनुज्ञप्ति पुस्त अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर शस्त्र पंजी में प्रविष्टि कराने के उपरान्त उक्त अनुज्ञप्ति पुस्त प्राप्त कर लेंगें।

लेखापित एवं संशोधित।

02/4/09

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

02/4/09

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।